

कारागार अधिनियम, 1894

(1894 का अधिनियम संख्यांक 9)¹

[22 मार्च, 1894]

कारागारों से सम्बन्धित विधि का संशोधन करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि उन राज्यक्षेत्रों को छोड़कर जो पहली नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे, भारत में कारागारों से सम्बन्धित विधि का संशोधन किया जाए और ऐसे कारागारों के विनियमन के लिए नियमों का उपबन्ध किया जाए; अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारागार अधिनियम, 1894 है।

³(2) इसका विस्तार ⁴[उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जो पहली नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे, संपूर्ण भारत पर है।]

(3) यह जुलाई, 1894 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

(4) इस अधिनियम की कोई बात मुम्बई ⁵[राज्य] में, ⁶[जैसा कि वह पहली नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व विद्यमान थी], मुम्बई नगर के बाहर सिविल जेलों को लागू नहीं होगी और वे जेलें ⁷1874 के मुम्बई अधिनियम सं० 2 की, जैसा कि वह पश्चात्पूर्वी अधिनियमितियों द्वारा संशोधित किया गया है, धारा 9 से लेकर 16 तक (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबन्धों के अधीन प्रशासित होती रहेंगी।

¹ यह अधिनियम—

- (1) (i) कारागार और भारतीय पागलपन (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1938 (1938 का मद्रास अधिनियम सं० 14);
- (ii) कारागार (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1940 (1940 का मद्रास अधिनियम सं० 5);
- (iii) कारागार (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1947 (1947 का मद्रास अधिनियम सं० 18); और
- (iv) कारागार (मद्रास संशोधन) (सं० 2) अधिनियम, 1947 (1947 का मद्रास अधिनियम सं० 19);

द्वारा मद्रास प्रान्त में,

- (2) कारागार (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1926 (1926 का पंजाब अधिनियम सं० 9) की धारा 2 द्वारा पंजाब में,
- (3) 1956 के दिल्ली अधिनियम सं० 6 द्वारा दिल्ली में,
- (4) 1956 के असम अधिनियम सं० 12 द्वारा असम में,
- (5) 1956 के उड़ीसा अधिनियम सं० 23 और 1958 के उड़ीसा अधिनियम सं० 29 द्वारा उड़ीसा में,
- (6) 1957 के पश्चिम बंगाल अधिनियम सं० 22 द्वारा पश्चिम बंगाल में,
- (7) 1974 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 10 द्वारा हिमाचल प्रदेश में,
- (8) 1976 के केरल अधिनियम सं० 10 द्वारा केरल में,

संशोधित रूप में लागू किया गया।

अधिनियम—

- (1) 1960 के विनियम सं० 30 द्वारा, उसकी धारा 3 और अनुसूची के अधीन (1-11-1960 से) कतिपय उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, उत्तरी पूर्वी सीमान्त क्षेत्र पर,
- (2) 1961 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 40 द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश पर,
- (3) 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर,
- (4) 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर,
- (5) 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप पर,
- (6) 1968 के विनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर,

विस्तारित।

1948 के पश्चिम बंगाल अधिनियम सं० 7 द्वारा (पश्चिम बंगाल में) भागतः निरसित।

1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा बेल्लारी जिले पर लागू होने से निरसित।

² विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग क राज्य और भाग ग राज्य” के स्थान पर निरसित।

³ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग ख राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “प्रांत” के स्थान पर प्रतिस्थापित जो कि भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा “प्रेसिडेंसी” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

⁶ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁷ सिविल जेल अधिनियम, 1874।

2. [निरसित 1]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में,—

(1) “कारागार” से कोई ऐसी जेल या स्थान अभिप्रेत है जो बन्दियों को निरुद्ध करने के लिए राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से प्रयोग में लाया जाता है और उससे अनुलग्न सभी भूमि और भवन इसके अन्तर्गत हैं किन्तु निम्नलिखित नहीं हैं :—

(क) ऐसे बन्दियों के, जो केवल पुलिस की अभिरक्षा में हैं, परिरोध के लिए कोई स्थान;

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) की धारा 541 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियत किया गया कोई स्थान; अथवा

(ग) ऐसा कोई स्थान, जिसे राज्य सरकार ने साधारण, या विशेष आदेश द्वारा, उप-कारागार घोषित किया है;

(2) “आपराधिक बन्दी” से कोई ऐसा बन्दी अभिप्रेत है, जिसे दांडिक अधिकारिता का उपयोग करने वाले किसी न्यायालय या प्राधिकारी के रिट, वारण्ट या आदेश से, या सेना न्यायालय के आदेश से, सम्यक् रूप से अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया है;

(3) “सिद्धदोष आपराधिक बन्दी” से कोई ऐसा आपराधिक बन्दी अभिप्रेत है जिसे किसी न्यायालय या सेना न्यायालय में दंडादेश दिया है और इसके अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) के अध्याय 8 के उपबन्धों के अधीन या प्रिजनर्स ऐक्ट, 1871 (1871 का 5) के अधीन किसी कारागार में निरुद्ध किया गया व्यक्ति भी है;

(4) “सिविल बन्दी” से कोई ऐसा बन्दी अभिप्रेत है जो आपराधिक बन्दी नहीं है;

(5) “परिहार पद्धति” से जेलों में बन्दियों को दिए जाने वाले आचरण-अंकों को, और परिमाणतः उनके दंडादेशों की अवधि कम करने को, विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त नियम अभिप्रेत हैं;

(6) “वृत्त पत्र” से वह पत्र अभिप्रेत है जिससे ऐसी जानकारी मिलती है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रत्येक बन्दी के संबंध में अपेक्षित है;

(7) “महानिरीक्षक” से कारागारों का महानिरीक्षक अभिप्रेत है;

(8) “चिकित्सीय अधीनस्थ” से सहायक शल्य-चिकित्सक, एपथिकेरी अथवा अर्हित अस्पताल-सहायक अभिप्रेत है; और

(9) “प्रतिषिद्ध वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जिसका किसी कारागार में लाया जाना या वहां से हटाया जाना इस अधिनियम के अधीन किसी नियम द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है ।

अध्याय 2

कारागारों को बनाए रखना और उनके अधिकारी

4. बन्दियों के लिए आवास—राज्य सरकार, अपने अधीन राज्यक्षेत्रों में बन्दियों के लिए ऐसे कारागारों में आवास की व्यवस्था करेगी जो ऐसी रीति से बनाए और सुव्यवस्थित किए जाएं जिससे कि बन्दियों के पृथक्करण की बाबत इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन हो सके ।

5. महानिरीक्षक—प्रत्येक राज्य सरकार के अधीनस्थ राज्यक्षेत्रों के लिए एक महानिरीक्षक नियुक्त किया जाएगा और वह, उस राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए, उस सरकार के अधीन राज्यक्षेत्रों के सभी कारागारों पर साधारण नियंत्रण और अधीक्षण रखेगा ।

6. कारागार के अधिकारी—प्रत्येक कारागार के लिए एक अधीक्षक, एक चिकित्सा अधिकारी (जो अधीक्षक भी हो सकेगा), एक चिकित्सीय अधीनस्थ, एक जेलर और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे :

परन्तु ³[मुम्बई की राज्य सरकार] ^{4****} लिखित आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि आदेश में विनिर्दिष्ट किसी कारागार में जेलर का पद, अधीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा धारण किया जाएगा ।

¹ अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखिए ।

² अब बन्दी अधिनियम, 1900 (1900 का 3) देखिए ।

³ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर मुम्बई” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से” शब्दों का लोप किया गया ।

7. बन्दियों के लिए अस्थायी आवास—जब कभी महानिरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी कारागार में बन्दियों की संख्या उससे अधिक है जितने सुविधापूर्वक या सुरक्षा के साथ वहां रखे जा सकते हैं; और जितने बन्दी अधिक हैं उन्हें किसी अन्य कारागार में अन्तरित करना सुविधाजनक नहीं है,

या जब कभी किसी कारागार के भीतर किसी महामारी के फैलने से, या किसी अन्य कारणवश, किन्हीं बन्दियों को अस्थायी आश्रय और निरापद सुरक्षा प्रदान करना वांछनीय हो,

तब, ऐसा अधिकारी ऐसी रीति से, जिसे राज्य सरकार निदिष्ट करे, उतने बन्दियों के लिए, अस्थायी कारागारों में आश्रय और निरापद सुरक्षा की व्यवस्था करेगा जितने उक्त कारागार में सुविधापूर्वक और सुरक्षा के साथ नहीं रखे जा सकते हैं।

अध्याय 3

अधिकारियों के कर्तव्य

सामान्य

8. कारागार के अधिकारियों का नियंत्रण और उनके कर्तव्य—किसी कारागार के सभी अधिकारी अधीक्षक के निदेशों का पालन करेंगे; जेलर के अधीनस्थ सभी अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो अधीक्षक की मंजूरी से जेलर द्वारा उन्हें सौंपे जाएं या धारा 1[59] के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

9. अधिकारियों का बन्दियों के साथ, व्यापार संबंध न रखना—किसी कारागार का कोई अधिकारी किसी बन्दी को कोई वस्तु न तो बेचेगा और न किराए पर देगा, और न कोई व्यक्ति उस अधिकारी की ओर से न्यासतः या उसके द्वारा नियोजित होते हुए किसी वस्तु को किसी बन्दी को बेचेगा या किराए पर देगा और न उसे ऐसे बेचने या किराए पर देने से कोई लाभ प्राप्त करेगा, और न प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धन के लेन-देन का या कोई व्यापार संबंध किसी बन्दी के साथ रखेगा।

10. अधिकारियों का कारागार संविदाओं में हितबद्ध न होना—कारागार का न तो कोई अधिकारी, और न कोई व्यक्ति उस अधिकारी की ओर से न्यासतः या उसके द्वारा नियोजित होते हुए, कारागार के लिए प्रदाय की किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई हित रखेगा और न कारागार की ओर से किसी वस्तु के अथवा किसी बन्दी की किसी वस्तु के विक्रय या उसकी खरीद से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई लाभ प्राप्त करेगा।

अधीक्षक

11. अधीक्षक—(1) महानिरीक्षक के आदेशों के अधीन रहते हुए, अधीक्षक अनुशासन, श्रम, व्यय, दण्ड और नियंत्रण संबंधी सभी मामलों में कारागार का प्रबन्ध करेगा।

(2) ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा दिए जाएं, किसी केन्द्रीय कारागार या प्रेसिडेंसी नगर में स्थित किसी कारागार से भिन्न किसी कारागार का अधीक्षक उन सभी आदेशों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन किसी नियम से असंगत न हों तथा जो उस कारागार के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाएं और ऐसे सभी आदेशों की तथा उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट महानिरीक्षक को देगा।

12. अधीक्षक द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख—अधीक्षक निम्नलिखित अभिलेख रखेगा या रखवाएगा,—

- (1) प्रविष्ट किए गए बन्दियों का रजिस्टर;
- (2) ऐसी पुस्तक, जिसमें यह दिखाया गया हो कि प्रत्येक बन्दी को कब छोड़ा जाना है;
- (3) दण्ड-पुस्तिका, जिसमें कारागार संबंधी अपराधों के लिए बन्दियों को दिए गए दण्ड दर्ज किए जाते हैं;
- (4) मुलाकात पुस्तिका, जिसमें कारागार के प्रशासन से संबद्ध किन्हीं मामलों के बारे में मुलाकातियों द्वारा व्यक्त विचार दर्ज किए जाते हैं;
- (5) बन्दियों से लिए गए धन या अन्य वस्तुओं का अभिलेख,

तथा वे सभी अन्य अभिलेख जो धारा 59^{2***} के अधीन बने नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

चिकित्सा अधिकारी

13. चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य—अधीक्षक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, चिकित्सा अधिकारी कारागार के स्वच्छता संबंधी प्रशासन का भारसाधक होगा और उन कर्तव्यों³ का पालन करेगा जो धारा 1[59] के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "60" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "या धारा 60" शब्दों और अंकों का लोप किया गया।

³ धारा 13 के अधीन, चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य संबंधी नियमों के लिए विभिन्न स्थानीय नियम और आदेश देखिए।

14. कुछ मामलों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किया जाना—जब कभी चिकित्सा अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे अनुशासन या व्यवहार से, जिसके अन्तर्गत कोई बन्दी रखा गया है, उस बन्दी के मस्तिष्क पर हानिकर प्रभाव पड़ा है या पड़ सकता है, तब चिकित्सा अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट लिखित रूप में अधीक्षक को करेगा और उसमें अपने ऐसे विचार लिखेगा जिन्हें वह ठीक समझे।

यह रिपोर्ट, उस पर अधीक्षक के आदेश के साथ, जानकारी के लिए तत्काल महानिरीक्षक को भेज दी जाएगी।

15. बन्दी की मृत्यु पर रिपोर्ट—किसी बन्दी की मृत्यु हो जाने पर चिकित्सा अधिकारी निम्नलिखित विशिष्टियां, जहां तब वे अभिनिश्चित की जा सकती हैं, एक रजिस्टर में तत्काल लिखेगा, अर्थात् :—

- (1) वह दिन, जब मृतक ने पहली बार रुग्णता की शिकायत की थी या वह रुग्ण देखा गया था;
- (2) वह श्रम, यदि कोई हो, जिस पर उसे उस दिन लगाया गया था;
- (3) उस दिन उसका भोजन मान;
- (4) वह दिन, जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था;
- (5) वह दिन, जब चिकित्सा अधिकारी को प्रथम बार रुग्णता की सूचना दी गई थी;
- (6) रोग की प्रकृति;
- (7) मृत्यु से पूर्व चिकित्सीय अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ द्वारा उसे अन्तिम बार कब देखा गया था;
- (8) बन्दी कब मरा; और

(9) (उन दशाओं में जब शव परीक्षा की जाए) मरणोत्तर आकृतियों का विवरण और साथ ही ऐसी विशेष टिप्पणियां भी दी जाएंगी जो चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक प्रतीत हों।

जेलर

16. जेलर—(1) जब तक कि अधीक्षक जेलर को अन्यत्र निवास करने की लिखित अनुज्ञा नहीं देता वह कारागार में ही निवास करेगा।

(2) महानिरीक्षक की लिखित मंजूरी के बिना जेलर किसी अन्य नियोजन से अपना कोई संबंध नहीं रखेगा।

17. बन्दी की मृत्यु की सूचना का जेलर द्वारा दिया जाना—किसी बन्दी की मृत्यु पर, जेलर तुरन्त उसकी सूचना अधीक्षक और चिकित्सीय अधीनस्थ को देगा।

18. जेलर का उत्तरदायित्व—जेलर धारा 12 के अधीन रखे जाने वाले अभिलेखों की निरापद अभिरक्षा, सुपुर्दगी-वारण्टों तथा अन्य सभी दस्तावेजों के लिए, जो उसकी देख-रेख में विश्वस्ततः रखे गए हैं, तथा बन्दियों से लिए गए धन और अन्य वस्तुओं के लिए उत्तरदायी होगा।

19. रात्रि में जेलर का उपस्थित रहना—जेलर अधीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी रात को जेल से अनुपस्थित नहीं रहेगा, किन्तु यदि वह अनिवार्य आवश्यकतावश किसी रात बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहे तो वह उस तथ्य की तथा उसके कारण की रिपोर्ट तुरन्त अधीक्षक को करेगा।

20. उप-जेलरों और सहायक जेलरों की शक्तियां—जहां किसी जेल के लिए कोई उप-जेलर या सहायक जेलर नियुक्त किया जाता है वहां वह, अधीक्षक के आदेशों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने किसी नियम के अधीन जेलर के किसी भी कर्तव्य का पालन करने के लिए सक्षम होगा और जेलर के सभी उत्तरदायित्व उस पर होंगे।

अधीनस्थ अधिकारी

21. गेट-कीपर के कर्तव्य—गेट-कीपर के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी, या कारागार का कोई अन्य अधिकारी, कारागार में या उसके बाहर ले जाई जाने वाली किसी भी वस्तु की परीक्षा कर सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति को रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है या लिवा सकता है जिसके बारे में यह संदेह है कि वह कोई प्रतिषिद्ध वस्तु कारागार में ला रहा है या कारागार से बाहर ले जा रहा है या कारागार की कोई सम्पत्ति बाहर ले जा रहा है, और यदि ऐसी कोई वस्तु या सम्पत्ति पाई जाए तो वह तुरन्त उसकी सूचना जेलर को देगा।

22. अधीनस्थ अधिकारियों का बिना छुट्टी के अनुपस्थित न होना—जेलर के अधीनस्थ अधिकारी, अधीक्षक या जेलर से छुट्टी लिए बिना, कारागार से अनुपस्थित नहीं रहेंगे।

23. बन्दी अधिकारीगण—वे बन्दी, जो कारागारों के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

अध्याय 4

बन्दियों का प्रवेश, हटाया जाना और उन्मोचन

24. प्रवेश पर बन्दियों की परीक्षा—(1) जब कभी किसी बन्दी को कारागार में प्रविष्ट किया जाए तब उसकी तलाशी ली जाएगी और उससे सभी आयुध तथा प्रतिषिद्ध वस्तुएं ले ली जाएंगी।

(2) प्रत्येक आपराधिक बन्दी की, प्रवेश के बाद, यथासम्भव शीघ्र, चिकित्सा अधिकारी के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन, परीक्षा की जाएगी जो जेलर द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में बन्दी के स्वास्थ्य की दशा तथा उसके शरीर पर लगे किन्हीं घावों या चिह्नों का, और यदि उसे कठिन कारावास का दण्ड दिया गया है तो उस प्रकार के श्रम का, जिसके लिए वह उपयुक्त हो, अभिलेख तथा ऐसे अन्य विचारों को, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी लिखना ठीक समझे, दर्ज करेगा या दर्ज कराएगा।

(3) स्त्री बन्दी की दशा में तलाशी तथा परीक्षा, चिकित्सा अधिकारी के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन, मैट्रन द्वारा की जाएगी।

25. बन्दियों की चीजबस्त—सभी धन तथा अन्य वस्तुएं, जिनकी बाबत किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं हुआ है, और जो समुचित प्राधिकार से किसी आपराधिक बन्दी द्वारा कारागार में लाई जा सकती हैं या उसके उपयोग के लिए कारागार में भेजी जा सकती हैं, जेलर की अभिरक्षा में रखी जाएंगी।

26. बन्दियों का हटाया जाना और उन्मोचन—(1) किसी अन्य कारागार में हटाए जाने से पूर्व सभी बन्दियों की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की जाएगी।

(2) कोई भी बन्दी एक कारागार से दूसरे कारागार को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित नहीं करता कि उस बन्दी को कोई ऐसा रोग नहीं है जिसके कारण वह वहां से हटाया नहीं जा सकता।

(3) यदि कोई बन्दी उग्र या खतरनाक मनःस्थिति में है तो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध और तब तक उन्मोचित नहीं किया जाएगा जब तक चिकित्सा अधिकारी की राय में ऐसा उन्मोचन निरापद न हो।

अध्याय 5

बन्दियों का अनुशासन

27. बन्दियों का पृथक्करण—बन्दियों के पृथक्करण के बारे में इस अधिनियम की अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं,—

(1) ऐसे कारागार में, जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के बन्दी हैं, स्त्री बन्दियों को अलग भवनों में या एक ही भवन के अलग-अलग भागों में इस प्रकार बन्दी रखा जाएगा कि उन्हें पुरुष बन्दियों को देखने या उनसे बातचीत करने या उनके समागम से रोक जा सके ;

(2) ऐसे कारागार में, जहां [इक्कीस वर्ष] से कम आयु के पुरुष बन्दी परिरुद्ध हैं, उन्हें दूसरे बन्दियों से बिल्कुल पृथक् रखने तथा उनमें से ऐसे बन्दियों को, जो यौवनारम्भ की अवस्था को पहुंच चुके हैं, ऐसे बन्दियों से, जो उस अवस्था को नहीं पहुंचे हैं, पृथक् रखने के उपाय किए जाएंगे;

(3) दोषसिद्धि-पूर्व के आपराधिक बन्दियों को सिद्धदोष आपराधिक बन्दियों से अलग रखा जाएगा; और

(4) सिविल बन्दियों को आपराधिक बन्दियों से अलग रखा जाएगा।

28. बन्दियों को दूसरों के साथ तथा अलग-अलग रखना—अन्तिम पूर्वगामी धारा की अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, सिद्धदोष आपराधिक बन्दियों को, या तो साथ-साथ या एक-एक को अलग-अलग करके, कोठरियों में अथवा कुछ को एक प्रकार से, और कुछ को दूसरे प्रकार से, रखा जा सकता है।

29. एकांत परिरोध—कोई भी कोठरी एकांत परिरोध के लिए तब तक प्रयोग में नहीं लाई जाएगी जब तक कि उसमें ऐसे साधनों की व्यवस्था न हो जिनसे बन्दी किसी भी समय कारागार के किसी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करने में समर्थ हो सके और किसी कोठरी में चौबीस घंटों से अधिक के लिए इस प्रकार परिरुद्ध प्रत्येक बन्दी को, चाहे परिरोध दण्ड-स्वरूप हो या अन्यथा, चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ एक दिन में कम से कम एक बार अवश्य देखने जाएगा।

30. मृत्यु दण्डादिष्ट बन्दी—(1) ऐसे प्रत्येक बन्दी की, जिसे मृत्यु दण्ड दिया गया है दण्डादेश के पश्चात् कारागार में आते ही तुरन्त जेलर द्वारा या उसके आदेश से तलाशी ली जाएगी और उससे वे सभी वस्तुएं ले ली जाएंगी जिन्हें जेलर उसके पास छोड़ना खतरनाक या असमीचीन समझता है।

(2) ऐसा प्रत्येक बन्दी अन्य सभी बन्दियों से अलग एक कोठरी में परिरुद्ध किया जाएगा, और उसे रात-दिन पहरेदार की निगरानी में रखा जाएगा।

¹ 1930 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा "अठारह" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अध्याय 6

सिविल बन्दियों तथा दोषसिद्धि-पूर्व आपराधिक बन्दियों का भोजन, वस्त्र और बिस्तर

31. कुछ बन्दियों का निजी स्रोतों से भरण-पोषण—सिविल बन्दी या दोषसिद्धि-पूर्व आपराधिक बन्दी को स्वयं अपना भरण-पोषण करने, तथा भोजन, वस्त्र, बिस्तर या अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित समयों पर निजी स्रोतों से खरीदने या प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी किन्तु वह परीक्षा और ऐसे नियमों के अधीन होगी जो महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

32. कुछ बन्दियों के बीच भोजन और वस्त्रों के अन्तरण या निर्बन्धन—किसी सिविल बन्दी या दोषसिद्धि-पूर्व आपराधिक बन्दी के भोजन, वस्त्र, बिस्तर या अन्य आवश्यक वस्तुओं का कोई भाग किसी अन्य बन्दी को न तो दिया जाएगा, न किराए पर उठाया जाएगा और न बेचा जाएगा; और इस धारा के उपबन्धों का अतिक्रमण करने वाला बन्दी निजी स्रोत से भोजन खरीदने या उसे प्राप्त करने के अपने विशेषाधिकार से उतने समय तक के लिए वंचित हो जाएगा जितना अधीक्षक ठीक समझे।

33. सिविल बन्दियों और दोषसिद्धि-पूर्व आपराधिक बन्दियों को वस्त्र और बिस्तर का दिया जाना—(1) प्रत्येक सिविल बन्दी और दोषसिद्धि-पूर्व आपराधिक बन्दी को, जो अपने लिए पर्याप्त वस्त्र और बिस्तर की व्यवस्था करने में असमर्थ है, अधीक्षक द्वारा ऐसे वस्त्र और बिस्तर दिए जाएंगे जो आवश्यक हों।

(2) जब किसी प्राइवेट व्यक्ति के पक्ष में किसी डिक्री के निष्पादन में किसी सिविल बन्दी को कारागार सुपुर्द किया गया हो तब वह व्यक्ति, अथवा उसका प्रतिनिधि, लिखित मांग प्राप्त करने के अड़तालीस घंटों के भीतर अधीक्षक को उन वस्त्रों और बिस्तर का खर्च संदत्त करेगा जो उस बन्दी को दिए गए हैं, और ऐसा संदाय न होने पर बन्दी को छोड़ा जा सकता है।

अध्याय 7

बन्दियों का नियोजन

34. सिविल बन्दियों का नियोजन—(1) अधीक्षक की अनुज्ञा से सिविल बन्दी कोई भी कार्य कर सकेंगे और कोई व्यापार या वृत्ति चला सकेंगे।

(2) जिन सिविल बन्दियों के पास अपने निजी उपकरण उपलब्ध हों और जिनका भरण-पोषण कारागार के व्यय पर न होता हो उन्हें अपना सम्पूर्ण उपार्जित धन प्राप्त कर लेने की अनुज्ञा होगी, किन्तु ऐसे सिविल बन्दियों द्वारा, जिन्हें उपकरण दिए जाते हैं, या जिनका भरण-पोषण कारागार के व्यय पर किया जाता है, उपार्जित धन में से उन उपकरणों के उपयोग और भरण-पोषण के व्यय मद्धे उतनी कटौती की जा सकेगी जितनी अधीक्षक द्वारा अवधारित की जाए।

35. आपराधिक बन्दियों का नियोजन—(1) कोई भी आपराधिक बन्दी, जिसे सश्रम दण्डादेश दिया गया है या जो अपनी इच्छा से श्रम पर नियोजित किया गया है, किसी एक दिन में नौ घंटों से अधिक के लिए श्रम पर उस दशा के सिवाय नहीं लगाया जाएगा जबकि आपात की स्थिति में अधीक्षक की लिखित मंजूरी ले ली गई हो।

(2) चिकित्सा अधिकारी श्रम करने वाले श्रमिकों की, जब वे काम पर लगे हों, समय-समय पर परीक्षा करेगा और श्रम पर नियोजित प्रत्येक बन्दी के वृत्त-पत्र पर प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक बार उस बन्दी का उस समय का वजन लिखवाएगा।

(3) जब चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि किसी किस्म या वर्ग के श्रम में नियोजित होने के कारण किसी बन्दी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तब वह बन्दी उस श्रम पर नहीं लगाया जाएगा किन्तु उसे ऐसे अन्य किस्म या वर्ग के श्रम पर लगाया जाएगा जिसे चिकित्सा अधिकारी उसके लिए उपयुक्त समझे।

36. सादे कारावास से दण्डादिष्ट आपराधिक बन्दियों का नियोजन—उन सभी आपराधिक बन्दियों के, जिन्हें सादे कारावास का दण्डादेश दिया गया है (जब तक के लिए वे चाहे तब तक के लिए), नियोजन की अधीक्षक द्वारा व्यवस्था की जाएगी, किन्तु ऐसे बन्दी को, जिसे कठिन कारावास का दण्ड नहीं दिया गया है, कार्य की उपेक्षा के लिए, भोजन-मान में ऐसा परिवर्तन करने के सिवाय दण्ड नहीं दिया जाएगा जो ऐसे किसी बन्दी द्वारा काम की उपेक्षा की दशा में कारागार के नियमों द्वारा नियत किया जाए।

अध्याय 8

बन्दियों का स्वास्थ्य

37. बीमार बन्दी—(1) ऐसे बन्दियों के नामों की रिपोर्ट, जो चिकित्सीय अधीनस्थ में मिलना चाहते हैं या मस्तिष्क या शरीर से अस्वस्थ लगते हैं, ऐसे बन्दियों के उस समय के भारसाधक अधिकारी द्वारा अविलम्ब जेलर को की जाएगी।

(2) जेलर चिकित्सीय अधीनस्थ अधिकारी का ध्यान अविलम्ब उस बन्दी की ओर दिलाएगा जो उससे मिलना चाहता है, या जो बीमार है, या जिसके मस्तिष्क या शरीर की दशा ऐसी प्रतीत होती है कि उस पर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए और वह उन सभी लिखित निदेशों को कार्यान्वित करेगा जो ऐसे किसी बन्दी के अनुशासन या व्यवहार के संबंध में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ द्वारा दिए गए हैं।

38. चिकित्सा अधिकारियों के निदेशों का अभिलेख—किसी बन्दी के संबंध में चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ द्वारा दिए गए सभी निदेश, औषधियों के प्रदाय संबंधी आदेशों अथवा उन मामलों से संबंधित निदेशों के सिवाय जिन्हें चिकित्सा अधिकारी द्वारा या उसके अधीक्षण के अधीन प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाता है, बन्दी के वृत्त-पत्र में या ऐसे किसी अन्य अभिलेख में, जिसका राज्य सरकार नियम द्वारा निदेश है, दिन प्रति दिन दर्ज किए जाएंगे और जेलर समुचित स्थान पर ऐसी प्रविष्टि करेगा जिसमें प्रत्येक निदेश की बाबत इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि निदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं, और उसमें ऐसे विचार भी, यदि कोई हों लिखे जाएंगे जिन्हें लिखना जेलर ठीक समझे और प्रविष्टि की तारीख भी लिखी जाएगी।

39. अस्पताल—प्रत्येक कारागार में, बीमार बन्दियों को लेने के लिए एक अस्पताल या समुचित स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

अध्याय 9

बन्दियों से मुलाकात

40. सिविल तथा दोषसिद्धि-पूर्व आपराधिक बन्दियों से मुलाकात—उन व्यक्तियों के, जिनके साथ सिविल या दोषसिद्धि-पूर्व आपराधिक बन्दी सम्पर्क करना चाहें, प्रत्येक कारागार में, समुचित समय पर और समुचित निर्बन्धनों सहित, प्रवेश के लिए सम्यक् व्यवस्था की जाएगी, इस बात का ध्यान रखा जाएगा, कि जहां तक न्याय के हित से सुसंगत हो, विचारणाधीन बन्दी अपने सम्यक्तः अर्हित विधि सलाहकारों से, किसी अन्य व्यक्ति की मौजूदगी के बिना, मिल सकें।

41. मुलाकातियों की तलाशी—(1) जेलर बन्दी से मुलाकात चाहने वाले किसी व्यक्ति का नाम और पता मांग सकता है, और यदि जेलर के पास संदेह का कोई आधार है तो, वह किसी मुलाकाती की तलाशी ले सकता है या लिवा सकता है, किन्तु ऐसी तलाशी किसी बन्दी या अन्य मुलाकाती की मौजूदगी में नहीं ली जाएगी।

(2) यदि कोई मुलाकाती अपनी तलाशी लिए जाने से इन्कार करे तो, जेलर उसे प्रवेश देने के इन्कार कर सकता है; और ऐसी कार्यवाही के आधार, उनके विवरणों सहित, ऐसे अभिलेख में दर्ज किए जाएंगे जैसा राज्य सरकार निदिष्ट करे।

अध्याय 10

कारागार सम्बन्धी अपराध

42. प्रतिषिद्ध वस्तुओं के कारागार में लाने या वहां से हटाने के लिए तथा बन्दियों के साथ सम्पर्क के लिए शास्ति—जो कोई धारा 1[59] के अधीन किसी नियम के प्रतिकूल कोई प्रतिषिद्ध वस्तु किसी कारागार में लाएगा या वहां से हटाएगा या किसी भी साधन से लाने या हटाने का प्रयत्न करेगा या कारागार की सीमाओं के बाहर किसी बन्दी को प्रदाय करेगा या प्रदाय करने का प्रयत्न करेगा,

और कारागार का प्रत्येक अधिकारी, जो उस नियम के प्रतिकूल कोई वस्तु जानबूझकर किसी कारागार में लाए जाने या वहां से हटाए जाने देगा, किसी बन्दी को पास रखने देगा या कारागार की सीमाओं के बाहर किसी बन्दी को प्रदाय होने देगा,

और जो कोई ऐसे किसी नियम के प्रतिकूल, किसी बन्दी के साथ सम्पर्क करेगा या सम्पर्क करने का प्रयत्न करेगा,

और जो कोई इस धारा द्वारा दंडनीय किसी अपराध को दुष्प्रेरित करेगा,

वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध होने पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए से अधिक का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

43. धारा 42 के अधीन अपराध के लिए गिरफ्तार करने की शक्ति—जब कोई व्यक्ति, कोई ऐसा अपराध, जो पूर्वगामी अन्तिम धारा में विनिर्दिष्ट है, कारागार के किसी अधिकारी की उपस्थिति में करेगा और उस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपना नाम या निवास-स्थान बताने से इन्कार करेगा या ऐसा नाम या निवास-स्थान बताएगा जिसके बारे में वह अधिकारी जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है तब, वह अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकेगा, और अनावश्यक विलम्ब के बिना उसे किसी पुलिस अधिकारी के सुपुर्द कर सकेगा, और तब वह पुलिस अधिकारी इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह अपराध उसकी उपस्थिति में किया गया था।

44. शास्तियों का प्रकाशन—अधीक्षक, कारागार के बाहर किसी सहजदृश्य स्थान में अंग्रेजी तथा देशी भाषा में एक सूचना लगवाएगा जिसमें धारा 42 के अधीन प्रतिषिद्ध कार्य और उनके किए जाने पर दी जाने वाली शास्तियां उल्लिखित होंगी।

अध्याय 11

कारागार-अपराध

45. कारागार-अपराध—निम्नलिखित कार्य, जब वे किसी बन्दी द्वारा किए जाएं तब कारागार-अपराध घोषित किए जाते हैं :—

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "60" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(1) कारागार के किसी विनियम की जानबूझकर ऐसी अवज्ञा, जिसे धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कारागार-अपराध घोषित किया गया है;

(2) कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग;

(3) अपमानजनक या धमकी भरी भाषा का प्रयोग;

(4) अनैतिक या अशिष्ट या विच्छृंखल आचरण;

(5) श्रम करने से अपने को जानबूझकर असमर्थ बना देना;

(6) काम करने से घृष्टतापूर्वक इन्कार करना;

(7) हथकड़ियों, बेड़ियों, या सलाखों को, सम्यक् प्राधिकार के बिना रेतना, काटना, उनमें हेरफेर करना या उन्हें हटाना;

(8) किसी ऐसे बन्दी द्वारा, जिसे कठिन कारावास का दण्ड दिया गया है, काम पर जानबूझकर आलस्य या उपेक्षा करना;

(9) किसी ऐसे बन्दी द्वारा, जिसे कठिन कारावास का दण्ड दिया गया है, जानबूझकर काम का कुप्रबन्ध करना;

(10) कारागार-सम्पत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना;

(11) वृत्त-पत्रों, अभिलेखों, या दस्तावेजों को बिगाड़ना या विरूपित करना;

(12) कोई प्रतिसिद्ध वस्तु प्राप्त करना, अपने पास रखना या अन्तरित करना;

(13) रुग्णता का ढोंग करना;

(14) किसी अधिकारी या बन्दी के विरुद्ध जानबूझकर कोई झूठा आरोप लगाना;

(15) आग लगने, कुचक्र या पञ्चत्र रचने, भाग निकलने, अथवा भाग निकलने के प्रयत्न या तैयारी की, तथा किसी बन्दी या कारागार पदाधिकारी पर किसी आक्रमण की या आक्रमण की तैयारी की, जैसे ही उसकी जानकारी हो जाए, रिपोर्ट न करना या रिपोर्ट करने से इन्कार करना;

(16) निकल भागने का षड्यंत्र रचना, अथवा निकल भागने में सहायता करना, अथवा पूर्वोक्त अपराधों में से कोई अन्य अपराध करना।

46. ऐसे अपराधों के लिए दंड—अधीक्षक ऐसे किसी अपराध से सम्पृक्त किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा और तब उसका अवधारण कर सकेगा तथा ऐसे अपराध के लिए निम्नलिखित दण्ड दे सकेगा :—

(1) औपचारिक चेतावनी।

स्पष्टीकरण—औपचारिक चेतावनी से ऐसी चेतावनी अभिप्रेत है जो अधीक्षक द्वारा बन्दी को व्यक्तिगत रूप से सम्बोधित की जाए तथा दण्ड-पुस्तिका में और बन्दी के वृत्त-पत्र में दर्ज की जाए;

(2) श्रम को किसी अधिक कष्टप्रद या कठोर रूप के श्रम में ²[उतनी अवधि के लिए परिवर्तित करना, जितनी ³[राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं।]

(3) ऐसे सिद्धदोष आपराधिक बन्दीयों की दशा में, जिन्हें कठिन कारावास का दण्ड नहीं दिया गया है, सात दिन से अनधिक की अवधि के लिए कठोर श्रम;

(4) तत्समय प्रवृत्त परिहार पद्धति के अधीन अनुज्ञेय विशेषाधिकारों की ऐसी हानि, जो ³[राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए ;

(5) पहनने के लिए टाट या अन्य मोटे कपड़े का, जो ऊनी न हो, किसी अन्य कपड़े के स्थान पर ऐसी अवधि के लिए दिया जाना जो तीन मास से अधिक की न हो;

(6) ऐसे नमूने और भार की हथकड़ियों का, ऐसी रीति से और इतनी अवधि के लिए, लगाया जाना, जो ³[राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए;

(7) ऐसे नमूने और भार की बेड़ियों का ऐसी रीति से और इतनी अवधि के लिए, लगाया जाना, जो ³[राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं;

¹ धारा 46 के खंड (4), (6), और (7) के प्रति जारी नियमों के लिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1923 भाग 1, पृ० 1751 देखिए।

² 1925 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

³ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(8) ¹[तीन] मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए पृथक् परिरोध ।

स्पष्टीकरण—पृथक् परिरोध से, श्रम सहित या श्रम रहित, ऐसा परिरोध अभिप्रेत है जो किसी बन्दी को अन्य बन्दीयों के सम्पर्क से, न किसी उनकी दृष्टि से, अलग रखता है और जिसमें उसे प्रतिदिन कम से कम एक घंटे के व्यायाम और एक या अधिक अन्य बन्दीयों के साथ मिलकर भोजन करने की अनुज्ञा रहती है;

(9) शास्तिक भोजन, अर्थात् ऐसी रीति से, और श्रम संबंधी उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, भोजन के संबंध में निर्बन्धन :

परन्तु भोजन संबंधी ऐसा निर्बन्धन किसी भी बन्दी पर लगातार छियानवें घंटे से अधिक के लिए लागू नहीं किया जाएगा, और नए अपराध के सिवाय, और जब तक एक सप्ताह का अन्तराल न बीत जाए तब तक, दोहराया नहीं जाएगा;

(10) चौहद दिन से अनधिक की किसी अवधि के लिए कोठरी बन्द परिरोध :

परन्तु कोठरी-बन्द परिरोध की ऐसी प्रत्येक अवधि के पश्चात् उस अवधि से अन्यून अवधि का अन्तराल, उस बन्दी को कोठरी-बन्द या एकांत-परिरोध के लिए फिर से दण्डादिष्ट करने से पूर्व, अवश्य बीत जाना चाहिए ।

स्पष्टीकरण—कोठरी-बन्द परिरोध से, श्रम सहित या श्रम रहित, ऐसा परिरोध अभिप्रेत है जो किसी बन्दी को अन्य बन्दीयों के सम्पर्क से, न कि उनकी दृष्टि से, पूर्णतः अलग रखता है;

2* * * * *

²[(11)] ³[कोठरी-बन्द] परिरोध सहित खंड (9) में यथापरिभाषित शास्तिक-भोजन ⁴***

²[(12)] कोड़े मारना, परन्तु तीस से अधिक कोड़े नहीं मारे जाएंगे :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी स्त्री बन्दी या सिविल बन्दी को किसी भी प्रकार की हथकड़ियां या बेड़ियां लगाए जाने या कोड़े मारे जाने का भागी नहीं बनाएगी ।

47. धारा 46 के अधीन दंडों में से एक से अधिक का दिया जाना—⁵[(1)] अन्तिम पूर्वगामी धारा में प्रगणित दंडों में से कोई भी दो दंड ऐसे किसी अपराध के लिए, निम्नलिखित अपवादों के अधीन, मिलकर दिए जा सकते हैं, अर्थात् :—

(1) औपचारिक चेतावनी को उस धारा के खंड (4) के अधीन विशेषाधिकारों की हानि के सिवाय किसी अन्य दण्ड के साथ नहीं मिलाया जाएगा;

(2) शास्तिक-भोजन उस धारा के खंड (2) के अधीन श्रम-परिवर्तन के साथ नहीं मिलाया जाएगा और न अकेली दी गई शास्तिक-भोजन की किसी अतिरिक्त अवधि को उस दांडिक भोजन की अवधि के साथ मिलाया जाएगा जो ³[कोठरी-बन्द] परिरोध के साथ मिलकर दी गई है;

⁶[(3)] कोठरी-बन्द परिरोध को पृथक् परिरोध के साथ इस प्रकार नहीं मिलाया जाएगा जिससे कि पृथक् वास की, जिसके लिए बन्दी भागी होगा, कुल अवधि बढ़ जाए;]

(4) कोड़ों की मार को, कोठरी-बन्द परिरोध या पृथक् परिरोध के ⁷[तथा] परिहार पद्धति के अधीन अनुज्ञेय विशेषाधिकार की हानि के साथ मिलाने के सिवाय, किसी अन्य प्रकार के दण्ड के साथ नहीं मिलाया जाएगा;

⁸[(5)] कोई भी दण्ड ⁹[राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन में दिए गए किसी अन्य दण्ड के साथ नहीं मिलाया जाएगा ।]

⁸[(2)] किसी ऐसे अपराध के लिए कोई ऐसा दण्ड नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए दिए गए दण्ड के साथ उन दण्डों में से दो मिलाए जा सकें जो ऐसे किसी अपराध के लिए मिलाकर नहीं दिए जा सकते हैं ।]

48. धारा 46 और धारा 47 के अधीन दंडों का दिया जाना—(1) अधीक्षक को अन्तिम पूर्वगामी दो धाराओं में प्रगणित दण्डों में से कोई भी दण्ड देने की शक्ति इस बात के अधीन रहते हुए होगी कि वह एक मास से अधिक अवधि के लिए पृथक् परिरोध की दशा में, महानिरीक्षक के पूर्व पुष्टिकरण से की गई हो ।

¹ 1925 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा “छह” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1925 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा मूल खंड (11) को निरसित किया गया और खंड (12) और (13) को पुनःसंख्याकित करके क्रमशः (11) और (12) किया गया ।

³ 1925 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा “एकान्त” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ 1925 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा “खण्ड (11) में यथापरिभाषित” शब्दों का लोप किया गया ।

⁵ 1925 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 द्वारा मूल धारा 47 को धारा 47(1) के रूप में पुनःसंख्याकित किया गया ।

⁶ 1925 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा मूल उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁷ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “या” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁸ 1925 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित ।

⁹ विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) अधीक्षक के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को कोई भी दण्ड देने की शक्ति नहीं होगी।

49. दंडों का पूर्वगामी धाराओं के अनुसार होना—न्यायालय के आदेश के बिना कोई दण्ड जो पूर्वगामी धाराओं में विनिर्दिष्ट दण्डों से भिन्न हो किसी भी बन्दी को नहीं दिया जाएगा और कोई भी दण्ड किसी बन्दी को उन धाराओं के उपबन्धों के अनुसार दिए जाने से अन्यथा नहीं दिया जाएगा।

50. चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना कि बन्दी दंड भोगने के लिए समर्थ है—(1) शास्तिक-भोजन का दण्ड, चाहे अकेले या दूसरे दण्डों के साथ मिलाकर या कोड़े मारने, या धारा 46 के खण्ड (2) के अधीन श्रम-परिवर्तन का दण्ड तब तक कार्यान्वित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस बन्दी की, जिसे वह दण्ड दिया जाना है, चिकित्सा अधिकारी ने परीक्षा न कर ली हो, और यदि चिकित्सा अधिकारी यह समझता है कि बन्दी दण्ड भोगने के लिए समर्थ है, तो वह धारा 12 में विहित दण्ड-पुस्तिका के समुचित स्तम्भ में तदनुसार वैसा लिखकर प्रमाणित करेगा।

(2) यदि वह समझता है कि बन्दी दण्ड भोगने के लिए असमर्थ है तो वह अपनी राय उसी रीति से लेखबद्ध करेगा और यह बताएगा कि क्या वह बन्दी उस प्रकार के दण्ड को, जो दिया गया है, भोगने के लिए पूर्णतया असमर्थ है या कि वह कोई परिवर्तन आवश्यक समझता है।

(3) पश्चात्कथित मामले में वह इस बात का उल्लेख करेगा कि बन्दी अपने स्वास्थ्य को बिना क्षति पहुंचाए कहां तक दण्ड भोग सकता है।

51. दंड-पुस्तिका में प्रविष्टियां—(1) धारा 12 में विहित दण्ड-पुस्तिका में दिए गए प्रत्येक दण्ड की बाबत बन्दी का नाम, रजिस्टर संख्यांक और वह वर्ग (कि वह क्या अभ्यासिक है या नहीं) जिसका कि वह है, कारागार-अपराध जिसका वह दोषी था, वह तारीख, जिसको ऐसा कारागार-अपराध किया गया था, पहले किए गए कारागार-अपराधों की वह संख्या जो उस बन्दी के नाम के सामने अभिलिखित है, तथा उसके अन्तिम कारागार-अपराध की तारीख, दिया गया दण्ड और दण्ड दिए जाने की तारीख लिखी जाएंगी।

(2) प्रत्येक गम्भीर कारागार-अपराध की दशा में उन साक्षियों के नाम लिखे जाएंगे, जिन्होंने अपराध को साबित किया है, और ऐसे अपराधों की दशा में, जिनके लिए कोड़े मारने का दण्ड दिया गया है, अधीक्षक साक्षियों के साक्ष्य का सार, बन्दी का प्रतिवाद, और निष्कर्ष तथा उनके कारण लिखेगा।

(3) प्रत्येक दण्ड से संबंधित प्रविष्टियों के सामने जेलर और अधीक्षक इस बात के साक्ष्य स्वरूप आद्याक्षर करेंगे कि प्रविष्टियां ठीक हैं।

52. जघन्य अपराध करने पर प्रक्रिया—यदि कोई बन्दी कारागार-अनुशासन के विरुद्ध ऐसे किसी अपराध का दोषी है, जो इस कारण कि उसने ऐसे अपराध कई बार किए हैं, या अन्यथा, अधीक्षक की राय में ऐसा कोई दण्ड देने पर भी, जिसे देने की उसे इस अधिनियम के अधीन शक्ति है, पर्याप्त रूप से दण्डित नहीं किया जा सकता तो अधीक्षक उस बन्दी को, जिला मजिस्ट्रेट, या किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, [या प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट] के, जिसे अधिकारिता हो न्यायालय को, परिस्थितियों के विवरण सहित, भेज सकेगा और तब वह मजिस्ट्रेट बन्दी के विरुद्ध इस प्रकार लाए गए आरोपों की जांच और उसका विचारण करेगा और दोषिसिद्धि पर उसे इतने कारावास का दण्ड दे सकेगा जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, जो अवधि उस अवधि के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वह बन्दी, जब उसने वैसा अपराध किया था, तब, कारावास भोग रहा था, या उसे धारा 46 में प्रमाणित दण्डों में से कोई दण्ड दे सकेगा :

²[परन्तु ऐसे किसी मामले को जांच और विचारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को और मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अन्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट को अन्तरित किया जा सकेगा :]

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा।

53. कोड़े मारना—(1) दंडस्वरूप कोड़े किशतों में नहीं मारे जाएंगे और न ही अधीक्षक तथा चिकित्सा अधिकारी या अधीनस्थ चिकित्सक की अनुपस्थिति में मारे जाएंगे।

(2) कोड़े एक हल्के बेंत से, जिसका व्यास आधे इंच से कम न हो, नितम्बों पर मारकर लगाए जाएंगे, और सोलह वर्ष से कम के बन्दियों की दशा में, विद्यालय अनुशासन की भांति, अधिक हल्के बेंत से मारकर लगाए जाएंगे।

54. कारागार-अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपराध—(1) प्रत्येक जेलर या उसका अधीनस्थ कोई कारागार अधिकारी, जो कर्तव्य के अतिक्रमण या सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम या विनियम या विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग करने या उसकी उपेक्षा करने का दोषी होगा, या जो अपने पद के कर्तव्यों से, अनुज्ञा लिए बिना या ऐसे आशय की लिखित पूर्व सूचना दिए बिना दो मास की अवधि तक अलग रहेगा, या जो उसे दी गई किसी छुट्टी की अवधि से अधिक समय तक जानबूझकर छुट्टी पर रहेगा या जो कारागार कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में, प्राधिकार के बिना, लगेगा या जो कायरता का दोषी होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि

¹ 1910 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1910 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा मूल परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पर, जुर्मनि से दो सौ रुपए से अधिक नहीं होगा या कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से अधिक की नहीं होगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन एक ही अपराध लिए दो बाद दंडित नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 12

प्रकीर्ण

55. बन्दियों की कारागार-बाह्य अभिरक्षा, नियंत्रण और नियोजन—कोई बन्दी, जब वह किसी ऐसे कारागार को, या किसी ऐसे कारागार से, जिसमें वह वैध रूप से परिरुद्ध किया जाए, ले जाया जा रहा है, या जब कभी वह ऐसे कारागार के कारागार-अधिकारी की पूर्ण अभिरक्षा में या उसके नियंत्रणाधीन ऐसे कारागार की सीमाओं के बाहर कार्य कर रहा है या अन्यथा उन सीमाओं के परे है तब, वह कारागार में समझा जाएगा और उसकी आनुषंगिक सभी बातों के अधीन वैसे ही होगा मानो वह वस्तुतः कारागार में है ।

56. बेड़ियां लगाकर परिरोध—जब कभी अधीक्षक, किन्हीं बन्दियों की निरापद सुरक्षा के लिए (कारागार की दशा या बन्दियों के आचरण के प्रसंग में) यह आवयक समझे कि उन्हें बेड़ियां लगाकर परिरुद्ध रखना चाहिए तब वह ऐसे नियमों और अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार की मंजूरी से महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित किए जाएं, उन्हें इस प्रकार परिरोध में रख सकेगा ।

57. निर्वासन के दंडाधीन बंदियों का बेड़ियां लगाकर परिरोध—(1) निर्वासन के दंडाधीन बन्दियों को, धारा 1[59] के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, कारागार में प्रवेश के पश्चात् प्रथम तीस मास तक, बेड़ियां लगाकर परिरुद्ध रखा जाएगा ।

(2) यदि अधीक्षक, स्वयं बन्दी की निरापद अभिरक्षा के लिए या किसी अन्य कारण से, यह आवयक समझे कि किसी बन्दी को तीन मास से अधिक के लिए बेड़ियां लगाकर रखना चाहिए तो वह उस अवधि के लिए, जिसके लिए वह बेड़ियां लगाए रखना आवयक समझे बेड़ियां लगाए रखने की मंजूरी के लिए महानिरीक्षक को आवेदन कर सकेगा, और महानिरीक्षक तदनुसार उसकी मंजूरी दे सकेगा ।

58. जब तक कि अत्यन्त आवयक न हो जेलर द्वारा बंदियों को बेड़ियों में न रखा जाना—कोई बन्दी जेलर द्वारा उसके अपने प्राधिकार से ही, बेड़ियों में अथवा यांत्रिक अवरोध में नहीं रखा जाएगा जब तक कि ऐसा करना उसको अत्यन्त आवयक न हो और ऐसी दशा में उसकी सूचना तत्काल अधीक्षक को दी जाएगी ।

59. नियम बनाने की शक्ति—²[(1)] ³[राज्य सरकार], ⁴[राजपत्र में अधिसूचना द्वारा], निम्नलिखित के लिए, इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी :—

- (1) उन कार्यों को परिनिश्चित करना, जो कारागार-अपराध होंगे ;
- (2) कारागार-अपराधों का गम्भीर और छोटे अपराधों में वर्गीकरण का अवधारण;
- (3) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय ऐसे दण्ड नियत करना, जो कारागार संबंधी अपराधों या उनके वर्ग के अपराधों के किए जाने पर दिए जा सकते हैं;
- (4) उन परिस्थितियों को घोषित करना, जिनमें वे कार्य, जिनसे दोनों प्रकार के अपराध, अर्थात् कारागार-अपराध और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध गठित होते हैं, कारागार-अपराध के रूप में बरते जा सकते हैं या नहीं;
- (5) आचरण-अंक देना या दण्डों को कम करना;
- (6) उपद्रव या निकल भागने के प्रत्यन की दशा में किसी बन्दी या बन्दियों के समूह के विरुद्ध आयुधों के उपयोग का विनियमन;
- (7) उन परिस्थितियों को परिनिश्चित करना तथा उन शर्तों को विनियमित करना जिन पर उन बन्दियों को छोड़ा जा सकता है जो मृत्यु के खतरे में पड़ जाते हों;
- ⁵[(8) कारागारों का वर्गीकरण, तथा वार्डों, कोठरियों और निरोध के अन्य स्थानों का वर्णन और रचना;
- (9) प्रत्येक वर्ग के कारागारों में निरुद्ध किए जाने वाले बन्दियों का, उनकी संख्या, दण्डादेशों की अवधि या उनके स्वरूप के अनुसार, या अन्यथा, विनियमन;

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "60" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और दूसरी अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) धारा 59 उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित ।

³ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत के किसी भाग के लिए और प्रत्येक स्थानीय सरकार, सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से, अपने प्रशासन के अधीन राज्यक्षेत्रों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और दूसरी अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अंतःस्थापित ।

⁵ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल खण्ड (8) और (9) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

- (10) कारागारों का प्रशासन तथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारियों की नियुक्ति;
- (11) आपराधिक बन्दियों को, तथा ऐसे सिविल बन्दियों को, जिनका भरण-पोषण उनके अपने खर्च से भिन्न रीति से होता है, भोजन, बिस्तर और वस्त्र;
- (12) सिद्धदोष व्यक्तियों का कारागार के भीतर अथवा बाहर नियोजन, उन्हें अनुदेश देना और उनका नियंत्रण;
- (13) उन वस्तुओं को निर्धारित करना जिनका सम्यक् प्राधिकार के बिना कारागारों में लाना या वहां से हटाना प्रतिषिद्ध है;
- (14) विभिन्न प्रकार के श्रमों का वर्गीकरण और उन्हें विहित करना, तथा श्रम के बाद विश्राम की अवधियों को विनियमित करना;
- (15) बन्दियों के नियोजन के आगमों के व्ययन का विनियमन करना;
- (16) निर्वासन के लिए दण्डादिष्ट बन्दियों के बेड़ियों में परिरोध को विनियमित करना;
- (17) बन्दियों का वर्गीकरण और पृथक्करण;
- (18) सिद्धदोष आपराधिक बन्दियों के धारा 28 के अधीन परिरोध का विनियमन;
- (19) वृत्त-पत्रों को तैयार करना और उनका रखा जाना;
- (20) कारागार के अधिकारियों के रूप में बन्दियों का चयन और उनकी नियुक्ति;
- (21) सदाचरण के लिए इनाम;
- (22) ऐसे बन्दियों के, जिनके निर्वासन या कारावास की अवधि समाप्त होने को हो, अन्तरण का विनियमन, किन्तु यह किसी ऐसे अन्य राज्य की, जहां बन्दी को अन्तरित किया गया है राज्य सरकार की सहमति के अधीन होगा;
- (23) कारागारों में परिरुद्ध आपराधिक पागलों या ऐसे आपराधिक पागलों का, जो ठीक हो गए हैं उपचार, अन्तरण और व्यवस्था;
- (24) बन्दियों की अपीलों और उनकी अर्जियों के पारेषण तथा उनके मित्रों के साथ उनके पत्र-व्यवहार का विनियमन;
- (25) कारागार के परिदर्शकों की नियुक्ति और उनका मार्गदर्शन;
- (26) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं या सभी उपबन्धों का अतिरिक्त जेलों या परिरोध के विशेष स्थानों पर, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) की धारा 541 के अधीन नियत किए गए हैं, और वहां नियोजित अधिकारियों और परिरुद्ध बन्दियों पर विस्तार;
- (27) बन्दियों का प्रवेश, अभिरक्षा, नियोजन, भोजन, उपचार और छोड़ा जाना; और
- (28) साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना;

2(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

³60. [स्थानीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।]—भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा लोप किया गया।

61. नियमों की प्रतियां का प्रदर्शन—⁴[धारा 59] के अधीन नियमों की, जहां तक वे नियम कारागार के प्रशासन को प्रभावित करते हैं, प्रतियां ऐसे किसी स्थान में, जहां किसी कारागार में नियोजित सभी व्यक्ति पहुंच सकते हों, अंग्रेजी और देशी भाषा, दोनों में, प्रदर्शित की जाएंगी।

62. अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग—इस अधिनियम द्वारा किसी अधीक्षक या चिकित्सा अधिकारी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नाम से अथवा उसके शासकीय पदनाम से नियुक्त करे।

¹ अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखिए।

² 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा (15-5-1986 से) अंतःस्थापित।

³ इस धारा के उपबन्धों को मामूली उपान्तरण करके धारा 59 के खण्ड (8) से (27) में सम्मिलित कर लिया गया है।

⁴ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “धारा 59 और धारा 60” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अनुसूची—[अधिनियमिति निरसित की गई]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।
